प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

15 जुलाई 2026

आरबीआई ने 'डेटा अभिशासन (गवर्नेंस) के लिए विनियामकीय अपेक्षाओं पर मार्गदर्शन' का मसौदा जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'डेटा अभिशासन (गवर्नेंस) के लिए विनियामकीय अपेक्षाओं पर मार्गदर्शन' का मसौदा जारी किया है।

इस मार्गदर्शन का मसौदा निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं पर लागू है:

i. वाणिज्यिक बैंक

ii. लघु वित्त बैंक

iii. भुगतान बैंक

iv. स्थानीय क्षेत्र बैंक

v. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

vi. शहरी सहकारी बैंक

vii. ग्रामीण सहकारी बैंक

viii. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान

ix. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

x. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ

xi. साख सूचना कंपनियां

2. मार्गदर्शन के मसौदे पर विनियमित संस्थाओं, जनता और अन्य हितधारकों से 17 अगस्त 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

टिप्पणियाँ / प्रतिक्रिया आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है या वैकल्पिक रूप से इसे निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:

मुख्य महाप्रबंधक, परिचालन जोखिम समूह
विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
शाहिद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई - 400 001

या

विषय पंक्ति में **'डेटा अभिशासन (गवर्नेंस) के लिए विनियामकीय अपेक्षाओं पर मार्गदर्शन पर प्रतिक्रिया'** लिखकर ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

वित्तीय क्षेत्र के बढ़ते डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी-आधारित कारोबारी मॉडलों को अपनाने के कारण, विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए डेटा एक महत्वपूर्ण आस्ति के रूप में उभरा है। जैसे-जैसे डेटा की मात्रा, विविधता और गति बढ़ती जा रही है, डेटा को सभी कार्यों और प्रणालियों में सटीक, सुसंगत, सुरक्षित और उद्देश्य के अनुरूप बनाए रखने के लिए प्रभावी डेटा अभिशासन (गवर्नेंस) आवश्यक हो गया है। डेटा अभिशासन और इसके प्रबंधन में कमियां आरई के लिए व्यापक वित्तीय, परिचालन, अनुपालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम का कारण बन सकती हैं। इसे स्वीकार करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज आरई को उनके डेटा अभिशासन ढांचे को सुदृढ़ करने और डेटा जीवनचक्र में डेटा प्रबंधन से संबंधित ठोस प्रथाओं को बढ़ावा देने में सहायता के लिए 'डेटा अभिशासन (गवर्नेंस) के लिए विनियामकीय अपेक्षाओं पर मार्गदर्शन' का मसौदा जारी किया है। यह मार्गदर्शन डेटा अभिशासन, भूमिकाओं, आर्किटेक्चर, मेटाडेटा और लीनेज, गुणवत्ता और डेटा साझा करने से संबंधित अन्य पक्षकार की व्यवस्थाओं के संबंध में व्यापक विनियामक अपेक्षाएं निर्धारित करता है।

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/677